Visit of an Industrial Delegation from Japan

6917. SHRI B. V. DESAI:
SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a top level delegation of 10 large industrial groups from Japan visited India for holding a discussion with the Central and State Governments;

(b) if so, whether any agreement has been reached between the two countries;

(c) if so, in what field; and

(d) the main feature of the agreement arrived at?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (d). No, Sir. No discussions were held with State and Central Governments by top Japanese industrialists. However, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has reported that the 13th Joint Meeting of the Business Cooperation Committee of Indian and Japan was held in New Delhi on the 9th December, 1980. This Committee aims at fostering friendship and understanding between the business communities of Japan and India and at promoting trade and economic cooperation between the two countries. The Committee noted that the development programmes in India offer enlarged opportunities for transfer of Japanese technology and investment on a much larger scale to mutual benefit. The scope for participation in third country projects by the organisations in the two countries was also recognised.

गुजरात में बसाये गये आदिवासियों बंधुआ मजदूर

6918. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिवासी बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत गुजरात में बसाये गये आदिवासी बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है;

(ख) आदिवासी बंधुआ मजदूरों को किस प्रकार की राहत दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात में आदिवासी बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में 20 आदिवासी बंधुआ श्रमिक थे, जिनको उनके भूतपूर्व नियोजक द्वारा 21 गुन्था भूमि दी गई और उन्हें प्राथमिकता आधार पर समाज कल्याण निदेशालय की विशिष्ट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत लाभ दिए गए । केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत उनको सहायता देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है । बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के सम्बन्ध में पूरी छानबीन करने के लिए राज्य के बजट में 50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

6919. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 से 1980 तक वर्षवार प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये और उसमें से अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने हैं ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त अवधि के दौरान ली गई लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति बैठे और उनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा किस सीमा तक भरा गया; और

(घ) पूरा कोटा न भरने के क्या कारण हैं और शेष कोटा भरने के लिये सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट-सुब्बइया : (क) विवरण I देखें ।

(ख) विवरण II देखें ।

(ग) विवरण III देखें ।

(घ) इंजीनियरी सेवाओं आशुलिपिकों तथा भू-वैज्ञानिकों की परीक्षाओं जिनके लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हताएं अपेक्षित हैं, में कुछ रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूर्णरूप से नहीं भरा जा सका । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से एक और केन्द्र खोले जाने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है । जहां तक आशुलिपिक परीक्षा का सम्बन्ध है, विभिन्न परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को तैयार करने हेतु इन जाति के उम्मीदवारों को शिक्षण सुविधाएं दे रहे हैं।

विवरण–I

वर्ष	सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1977–78 . .	4309	480	133
1978–79 . .	6655	778	265
1979–80 . .	5925	856	297

विवरण–II

वर्ष	उन उम्मीदवारों की संख्या जो वास्तव में शामिल हुए		उन उम्मीदवारों की संख्या जिनका साक्षात्कार किया गया		आरक्षित पदों की संख्या			सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या	
	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जा.	जन	अनु. जा.	अनु. जन जा.
1977–78	5609	1033	335	89	708	476		266	64
1978–79	7305	1405	739	169	601	484		487	145
1979–80	15533	3921	938	350	572	432		562	205

विवरण–III

वर्ष	आरक्षित पदों की संख्या		सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या		समस्त प्रतिशतता जिसके लिए कोटा भरा गया	
	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.
1977–78 . . .	708	476	266	64	37.5	13.4
1978–79 . . .	601	484	487	145	81.0	29.5
1979–80 . . .	572	432	562	205	99.4	47.4

Comparative capacity utilisation of Cement Industries in Public and Private Sector

6920. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the production capacity of cement industry in the public and private sector, separately during the last two years;

(b) the capacity utilisation in each sector of cement industry during this period; and

(c) the comparative figures of salary and wages power consumption and investment in working capital per tonne of cement production in public and private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). The licensed capacity, production and capacity utilisation in cement industry in private and public sector (both Central and State Sector) during the calender years of 1979 & 1980 are given in the statement attached.